न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 01/2016

सायल	बनाम	गैरसायल
जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर		राजूसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी नवजी का पाना भूरटिया

परिवाद अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

उपस्थितः– 1. श्री अभियोजन अधिकारी सायल की ओर से।
2. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 13.01.2021

1. सायल की ओर से दिनांक 05.02.2016 को गैर सायल राजूसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी नवजी का पाना भूरटिया, पुलिस थाना नागाणा जिला बाड़मेर के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2/3 के अर्न्तगत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल बदमाश व शराब तस्कर प्रवृति का व्यक्ति है इसकी आपराधिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढती जा रही है जिस पर अंकुश लगाना निहायत ही जरुरी है। इसने अपने स्वार्थ सिद्ध करने व वर्चस्व कायम करने के लिए शराब की तस्करी को पेशा बना रखा है जो आमजन के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने पर आमादा हैं। यदि कोई व्यक्ति इस बदमाश का विरोध करता है, तो यह बदमाश अपने सहयोगियों की सहायता से उसको धमकाता हैं तथा इस बदमाश से आम इतना भयभीत हैं कि इसके खिलाफ गवाही देने से कतराता है, अथवा रिपोर्ट करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता हैं। उक्त शख्स गैर सायल राजस्थान गुण्डा

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाडमेर

नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (iii) में परिभाषित श्रेणी में आता है। इसके विरूद्ध निम्न मुकदमे दर्ज होकर निस्तारित हुए है–

क्र. सं.	मु. न. व दिनांक	धारा	पुलिस थना	चालान नं. व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	94/27.8.01	16/54 Excise Act	चौहटन	69/31.8.01	एसीजेएम कोर्ट बाड़मेर से दि. 8.4.03 को सजा
2	267/10.12.01	16/54 Excise Act	कोतवाली बाड़मेर	199/19.12.01	न्यायालय उठने तक की सजा व जुर्माना
3	301/12.12.01	16/54 Excise Act	सदर बाड़मेर	22./25.12.01	पैण्डिग कोर्ट
4	286/20.11.02	16/54 Excise Act	कोतवाली बाड़मेर	202/16.12.02	6 माह का कठोर कारावास व 1000/– रू अर्थदण्ड
5	294/26.12.02	16/54 Excise Act	कोतवाली बाड़मेर	224/31.12.02	पैण्डिग कोर्ट
6	101/23.4.03	16/54 Excise Act	सदर बाड़मेर	45/21.5.03	परिवीक्षा का लाभ देकर रिहा किया गया।
7	163/3.7.03	16/54 Excise Act	सदर बाड़मेर	118/17.7.03	परिवीक्षा का लाभ देकर रिहा किया गया।
8	381/12.10.03	16/54 Excise Act	कोतवाली बाड़मेर	355/20.12.03	परिवीक्षा का लाभ देकर रिहा किया गया।
9	262/26.7.11	19/54 Excise Act	कोतवाली बाड़मेर	182/26.9.11	पैण्डिग कोर्ट
10	06/5.1.16	8/21 NDPS Act	कोतवाली बाड़मेर	पैण्डिग पुलिस	–

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को बाड़मेर जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का निवेदन किया।

2. हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया। गैर सायल की ओर अधिवक्ता द्वारा जवाब में जाहिर किया कि गैर सायल किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं है तथा न ही किसी गिरोह के मुखिया के रूप मे अपराध करने का अभ्यस्त है। गैर सायल ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे आम जन गैर सायल के अपराध की वजह से डरी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

अपर जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.)बाड़मेर

सहमी हुई है। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध एकदम झूठा व नाहक परेशान करने की नीयत से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया हैं। प्रस्तुत परिवाद में 10 प्रकरणों का विवरण दिया गया जिसमें से न्यायालय द्वारा केवल एक प्रकरण में कारावास की सजा दी गई है शेष प्रकरण लोक अदालत की भावना से निस्तारित होकर परिवीक्षा का लाभ दिया गया है। गैर सायल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता (मारपीट व झगड़े) का एक भी प्रकरण दर्ज नहीं है। गैर सायल युवा नौजवान है जिसे पुलिस द्वारा ऐसे झूठे मुकदमों में फसाया गया तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा। गैर सायल का कार्य सन्तोषजनक है। इस प्रकार गैर सायल की कोई भी गतिविधि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) की उप धारा 7 व 8 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। अतः गैर सायल के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जाए।

3. गैर सायल द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने पर हमने दोनो पक्षों को अपनी अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में कोई साक्ष्य गवाह प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों बाबत कोई नवीनतम रिपोर्ट/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी एंव न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान अभियोजन अधिकारी बाड़मेर का यह तर्क है कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम के ही अपराध दर्ज हुए है जिसमें न्यायालय द्वारा एक प्रकरण को छोडकर शेष में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर परिवीक्षा का लाभ रेकर रिहा किया गया है। अभियोजन अधिकारी के तर्को का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता गैर सायल का तर्क है कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता (मारपीट व झगड़े) का एक भी प्रकरण दर्ज नहीं है तथा उल्लेखित प्रकरणों में लोक अदालत की भावना, जुर्म स्वीकारोक्ति पर मामूली जुर्माना आरोपित किया गया है, इसके अलावा कोई प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के तहत बाड़मेर या इससे बाहर किसी भी थाना में दर्ज नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर

हुआ हैं और न ही गैर सायल को दोषी ठहराया गया हैं। इसलिये गैर सायल के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जाए।

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 का आरोप है राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2 के खण्ड (iii) के अनुसार राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अधीन उल्लेखित अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो ही उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत परिवाद अनुसार गैर सायल के विरूद्ध 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश किये गये है जिसमें गैर सायल की ओर से लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति करने पर न्यायालय द्वारा परिवीक्षा का लाभ देकर रिहा किया गया हैं। एक प्रकरण में न्यायालय द्वारा सजा से दण्डित किया गया है जो वर्ष 2009 में प्रकरण निर्णीत हुआ है। इसके पश्चात सायल की ओर से गैर सायल के विरूद्ध वर्ष 2016 के बाद भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर गैर सायल के विरूद्ध आरोपित, आरोप अधिनियम धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) एवं स्पष्टीकरण में वर्णित अनुसार दोनों स्थितियां विधमान होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासित किये जाने का कोई सबूत प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस धारा 3(1) खारिज किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते